

## अध्याय - 1

### राज्य सरकार के वित्त

#### झारखण्ड की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य, जिसका गठन नवम्बर 2000 में बिहार राज्य के विभाजन के पश्चात किया गया था, 79,714 वर्ग कि.मी. में फैला है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार यह देश का 16<sup>वाँ</sup> सबसे बड़ा राज्य है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग-ए** में दर्शाया गया है राज्य की जनसंख्या 2001 के 2.69 करोड़ से बढ़कर 2011 में 3.30 करोड़ हो गई जो दोनों जनगणना आँकड़ों के बीच 22.68 प्रतिशत की वृद्धि है। अखिल-भारतीय औसत 30 की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 42.4 प्रतिशत थी। 2015-16 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 2,41,955 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 44 प्रतिशत (वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 66.41 प्रतिशत (वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्तमान मूल्य पर, वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य का प्रति व्यक्ति आय ₹ 72,307 रहा।

#### सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ. निर्धारित समयावधि में राज्य के भीतर उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त तैयार सामग्रियों तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को दर्शाता है। 2011-12 को आधार वर्ष मानकर प्रकाशित किये गये नये स.रा.घ.उ. आँकड़े का उपयोग किया गया है। इस प्रकार, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 व 2015-16 वर्षों हेतु संबद्ध तालिका में, जैसा कि पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित हुआ था, में प्रतिशतताओं/अनुपातों में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि के साथ राज्य में तुलनात्मक प्रवृत्ति को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.5	13.9	13.3	10.8	8.7
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,50,918	1,74,724	1,88,567	2,17,107	2,41,955
स.रा.घ.उ का वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.6	15.8	7.9	15.1	11.4

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार का वेबसाइट।

वृद्धि की दरें वर्तमान मूल्यों पर दर्ज वृद्धि को दर्शाती हैं।

झारखण्ड राज्य का स.रा.घ.उ. 2015-16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग (14<sup>वाँ</sup> वि.आ.) के उक्त वर्ष हेतु 11.73 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 11.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा जो भारत के स.रा.घ.उ. 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से बेहतर था।

2011-16 के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. का चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) 12.52 प्रतिशत था।

राज्य के स.रा.घ.उ. में वृद्धि मुख्यतः कृषि और खनन व उत्खनन में प्राथमिक क्षेत्र में राज्य घरेलू उत्पाद के मूल्य (17 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुआ।

सामान्य श्रेणी के राज्यों के ₹ 1,08,369 के प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. के विरुद्ध, झारखण्ड का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. केवल ₹ 72,307 था ।

### 1.1 परिचय

यह अध्याय वर्ष 2015-16 के दौरान झारखण्ड सरकार के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, विवेचनात्मक परिवर्तनों को विश्लेषित करता है। यह विश्लेषण राज्य वित्त लेखे 2015-16 की लेखापरीक्षा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं रूपरेखा की परिशिष्ट 1.1 भाग-बी में व्याख्या की गयी है तथा वित्त लेखे का अभिन्यास परिशिष्ट 1.1 भाग-सी में दर्शाया गया है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है। पिछले पाँच वर्षों के राज्य सरकार के वित्त का कालबद्ध आँकड़ा परिशिष्ट 1.3 में दिया गया है।

#### 1.1.1 वर्ष 2015-16 में राजकोषीय लेन देनों का सारांश

तालिका 1.2 पिछले वर्ष (2014-15) के साथ-साथ चालू वर्ष (2015-16) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन देनों का सारांश प्रस्तुत करता है जबकि परिशिष्ट 1.4 भाग-ए वर्ष 2015-16 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों का एक सार प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2015-16 के राजकोषीय संचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2014-15	2015-16	संवितरण	2014-15	2015-16		
खण्ड क: राजस्व					गैर-योजना	योजना	कुल
राजस्व प्राप्तियाँ	31564.56	40638.35	राजस्व व्यय	31794.90	20759.81	15793.02	36552.83
स्वयं का कर राजस्व	10349.81	11478.95	सामान्य सेवायें	10623.45	11466.21	536.22	12002.43
कर-भिन्न राजस्व	4335.06	5853.01	सामाजिक सेवायें	11915.34	5474.94	9368.87	14843.81
संघीय कर एवं शुल्क	9487.01	15968.75	आर्थिक सेवायें	9256.11	3818.66	5887.93	9706.59
भारत सरकार से अनुदान	7392.68	7337.64	सहायता-अनुदान अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
खण्ड ख: पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत परिव्यय	5542.94	72.23	8086.28	8158.51
ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ	33.06	31.06	संवितरित ऋण व अग्रिम	823.78	72.23	7407.77	7480.00
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6690.12	13244.65	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1879.88	2245.93	0.00	2245.93
आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण	0.00	0.00	आकस्मिक निधि से व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ <sup>#</sup>	20189.17	29036.72	लोक लेखा संवितरण <sup>#</sup>	19276.68	27053.00		27053.00
आरंभिक रोकड़ शेष	1285.48	444.21	रोकड़ अंत शेष	444.21	1904.72		1904.72
<b>कुल</b>	<b>59762.39</b>	<b>83394.99</b>	<b>कुल</b>	<b>59762.39</b>			<b>83394.99</b>

स्रोत: वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के वित्त लेखे

\*अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर

#आँकड़ों में 'अन्य लेखे' यथा विभागीय रोकड़ शेष, स्थायी अग्रदाय एवं रोकड़ शेष निवेश के अन्तर्गत लेन-देन शामिल नहीं हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 40,638.35 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 31,564.56 करोड़) की तुलना में ₹ 9,073 करोड़ (29 प्रतिशत) तक बढ़ीं जो मुख्यतः भारत सरकार के केन्द्रीय करों के हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6,482 करोड़ (68 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी के कारण तथा कर-भिन्न राजस्व में ₹ 1,518 करोड़ (35 प्रतिशत) एवं स्वयं के कर-राजस्व में ₹ 1,129 करोड़ (11 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी के कारण भी हुआ।
- स्वयं के कर-राजस्व (₹ 13,644 करोड़) एवं कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,759 करोड़) के चौदहवें वित्त आयोग द्वारा आदर्शी मूल्यांकन के विरुद्ध, वास्तविक कर क्रमशः ₹ 11,479 करोड़ (84 प्रतिशत) एवं ₹ 5,853 करोड़ (123 प्रतिशत) थे। इस प्रकार, स्वयं का कर-राजस्व 14<sup>वें</sup> वि.आ. द्वारा नियत मानक अनुमान से काफी कम था जबकि कर-भिन्न का संग्रह 14<sup>वें</sup> वि.आ. के अनुमान से अधिक था।
- राजस्व व्यय (आर.ई.) पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं पर क्रमशः ₹ 1,378 करोड़ एवं ₹ 2,929 करोड़ की वृद्धि के कारण, तीव्रता से 2014-15 के ₹ 31,795 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में

₹ 36,553 करोड़ हो गया। तथापि, आर.ई. ₹ 43,343 करोड़ के बजट अनुमान से 16 प्रतिशत कम था।

- पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में ₹ 2,616 करोड़ (47 प्रतिशत) तक बढ़ गया, जो मुख्यतः परिवहन (₹ 1,016 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 778 करोड़) एवं ग्रामीण विकास (₹ 392 करोड़) विभागों के अन्तर्गत था।
- लोक ऋण की प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में ₹ 1,987 करोड़ (42 प्रतिशत) की वृद्धि के विरुद्ध 2015-16 में ₹ 6,555 करोड़ (98 प्रतिशत) तक बढ़ गयी।
- लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा संवितरण में क्रमशः ₹ 8,848 करोड़ (44 प्रतिशत) एवं ₹ 7,776 करोड़ (40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- उपरोक्त लेन-देनों का निवल प्रभाव पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के अंत में रोकड़ शेष में ₹ 1,460.51 करोड़ की वृद्धि के रूप में हुआ।

### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

सरकार के राजकोषीय प्रचालन में वित्तीय स्थायित्व, ऋण स्थिरता एवं वृहत्तर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया। अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकार को मार्च 2009 के अंत तक राजस्व घाटे को समाप्त करना था तथा राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के तीन प्रतिशत तक सीमित करना था। 14<sup>वें</sup> वि.आ. ने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सभी अनुदानों एवं ऋण माफ करने की सुविधा को जोड़ते हुए राजकोषीय समेकन हेतु एक नये तथा पुनरीक्षित रोड मैप की सिफारिश की।

वर्ष 2015-16 हेतु प्रमुख राजकोषीय विवरणों से संबंधित लक्ष्य जैसा कि एम.टी.एफ.पी. (मध्यावधि राजकोषीय नीति) विवरण, 14<sup>वें</sup> वि.आ. एवं राज्य के बजटीय दस्तावेज में नियत किया गया तालिका 1.3 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय विचरण

(प्रतिशत में)

राजकोषीय विचरण	2015-16			
	राज्य के लिए 14वाँ वि. आ. का लक्ष्य	एम.टी.एफ.पी. अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष (+)	(+)6.8	(+)4.36	(+)2.07	(+)1.7
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजकोषीय घाटा	(-)3.50	(-)2.8	(-)2.28	(-) 4.8 <sup>1</sup>
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	24.20	21.55	लागू नहीं	23.4

राज्य ने वर्ष 2006-07 में राजस्व घाटे को समाप्त करने के द्वारा और घाटे को ₹ 946 करोड़ के राजस्व अधिशेष में बदलकर एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में नियत लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जो 2009-10 एवं 2014-15, जब क्रमशः ₹ 10 करोड़ एवं 230 करोड़ का घाटा हुआ को छोड़कर, लगातार बेहतर होकर 2013-14 में ₹ 2,665 करोड़ रहा। यद्यपि, 2015-16 में ब.आ. के विरुद्ध सामाजिक सेवाओं (₹ 6,790 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 1,578 करोड़) में कम व्यय के कारण राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 4,085 करोड़ था।

वर्ष 2015-16 के दौरान, राजकोषीय घाटा (₹ 11,523 करोड़) स.रा.घ.उ. का 4.8 प्रतिशत था जो 14<sup>वाँ</sup> वि.आ. द्वारा अनुशंसित सीमा 3.5 प्रतिशत से बहुत ही ज्यादा थी।


राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात वर्ष 2015-16 के दौरान 23.4 प्रतिशत था जो 14<sup>वाँ</sup> वि.आ. के 21.55 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के 24.20 प्रतिशत से परे था।

### 1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आँकड़े

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या प्रयोजनों की विवेचना करता है। राजस्व एवं व्यय के अनुमान में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीतियों को प्रभावकारी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन विविध कारणों, कुछ सरकार के नियंत्रण में तथा कुछ सरकार के नियंत्रण से बाहर, से इच्छित राजकोषीय लक्ष्य के अप्राप्ति और गैर अनुकूलन का सूचक है।

<sup>1</sup> यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो बजट घाटा से स.रा.घ.उ. 2.5 प्रतिशत कम हो जायेगा।

चार्ट 1.1 वर्ष 2015-16 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड हेतु बजट अनुमान तथा वास्तविक आँकड़ों का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय दोनों, वर्ष 2015-16 हेतु राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट से काफी कम था। वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में कमी (₹ 7,389 करोड़ से) मुख्यतः बजट अनुमानों के विरुद्ध भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 7,685 करोड़ से) की कम प्राप्ति के कारण था। तथापि कर राजस्व का संग्रह बजट अनुमान से अधिक था।

वर्ष 2015-16 के दौरान वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 6,790 करोड़ से) में कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं (₹ 3,904 करोड़ से) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 1,578 करोड़) में किए गए वास्तविक व्यय में कमी के कारण था।

निर्धारित बजट के विरुद्ध सामाजिक सेवाओं (₹ 598 करोड़) पर कम व्यय होने के कारण राज्य का पूँजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 517 करोड़ कम था, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है।

#### 1.1.4 लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजटीकरण

बजट दस्तावेज के अनुसार यह पाया गया कि जेण्डर बजटीकरण का राज्य बजट में सूत्रपात नहीं किया गया। तथापि, हमने राज्य के बजट भाषण तथा विनियोजन लेखे में पाया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य बजट में महिलाओं तथा बालिकाओं के कल्याण हेतु प्रावधान किया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: महिलाओं के लिए बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

योजना	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना	66.03	20.72	45.31
किशोरी शक्ति योजना	2.14	0.90	1.24
इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	15.74	3.82	11.92
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	40.00	33.43	6.57
महिलाओं एवं किशोरियों हेतु दक्षता विकास की योजना	10.00	0.00	10.00
नारी उत्थान कोष	2.00	0.00	2.00
तेजस्विनी योजना	0.50	0.50	0.00
महिलाओं के लिए राज्य स्रोत केन्द्र	0.22	0.00	0.22
लक्ष्मी लाडली योजना	100.00	96.49	3.51
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.90	0.05	0.85
डे केयर महिलाओं हेतु स्वरोजगार	0.30	0.20	0.10
विधवा कल्याण	0.50	0.21	0.29
जीवन आशा	4.44	0.00	4.44
<b>कुल</b>	<b>242.77</b>	<b>156.32</b>	<b>86.45</b>

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे

तालिका 1.4 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य में महिलाओं/किशोरियों के उत्थान हेतु बनायी गयी योजनाओं हेतु उपलब्ध कराये गये ₹ 242.77 करोड़ में से, ₹ 86.45 करोड़ (36 प्रतिशत) का उपयोग नहीं हुआ जिसने राज्य सरकार द्वारा निधि के प्रावधान के उद्देश्य को विफल कर दिया। व्यय (1) महिलाओं एवं किशोरियों हेतु दक्षता विकास योजना (2) नारी उत्थान पर शून्य था, जबकि (1) किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (2) इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना और (3) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में इन योजनाओं में बजटीय प्रावधानों से काफी कम था जिससे उस अवधि के दौरान इच्छित लाभ की प्राप्ति नहीं हो सका।

## 1.2 राज्य के संसाधन


### 1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व और पूँजीगत, प्राप्तियों की दो धाराएँ हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण




प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संवितरण के पश्चात लोक खाते में उपलब्ध निधि का उपयोग सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए भी किया जाता है। **तालिका 1.2** (पृष्ठ सं. 3) चालू वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों, जैसा कि उसके वार्षिक वित्त लेखे में अभिलेखित है, को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान संसाधनों के घटकों तथा उप-घटकों को दर्शाता हुआ फ्लो चार्ट **चार्ट-1.2** में दिया गया है, जबकि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति **चार्ट 1.3** में दिया गया है।

तदंतर, **चार्ट 1.4** एवं **चार्ट 1.5** क्रमशः वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करते हैं।

**चार्ट 1.2 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक**







चार्ट 1.2 से चार्ट 1.5 तक में देखा जा सकता है कि:


- राज्य की कुल प्राप्तियाँ (निवल लोक लेखा सहित) वर्ष 2011-12 के ₹ 26,200 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 55,898 करोड़ हो गयी और पिछले वर्ष (2014-15) के सापेक्ष 2015-16 के दौरान ₹ 16,698 करोड़ की वृद्धि हुई।
- कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का भाग (आर.आर./टी.आर.) 2012-13 में 80 प्रतिशत के अतिरिक्त, तेजी से घटकर 2011-12 के 86 प्रतिशत से वर्ष 2015-16 में 73 प्रतिशत हो गया। 2015-16 के दौरान आर.आर. से टी.आर. की प्रतिशतता लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि के कारण घटा।
- पूँजीगत प्राप्तियाँ महत्वपूर्ण ढंग से 2011-12 के 10 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 24 प्रतिशत हो गयीं। 2015-16 के दौरान, चालू वर्ष में मुख्यतः बाँड से उधारों में (₹ 5,553.37 करोड़) महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण यह 2014-15 के 17 प्रतिशत के विरुद्ध 24 प्रतिशत तक बढ़ी। 2011-16 की अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 48.98 प्रतिशत था।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ 2014-15 के ₹ 912 करोड़ (कुल प्राप्तियों का दो प्रतिशत) से 2015-16 में ₹ 1,984 करोड़ (कुल प्राप्तियों का तीन प्रतिशत) बढ़ गयीं।

### 1.2.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के बाहर हस्तांतरित निधि

31 मार्च 2015 तक, केन्द्र सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जिन्हें संकटग्रस्त के रूप में चिन्हित किया गया था, के कार्यान्वयन हेतु निधियों की एक बड़ी मात्रा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित कर रही थी एवं यह निधि राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं गुजरती थी। इसलिये, इन निधियों के व्यय का राज्य के वित्त लेखे में उल्लेख नहीं किया गया। अतः, वार्षिक वित्तीय लेखे राज्य के संसाधनों का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करते थे। तथापि, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता क्रियान्वयन अभिकरणों को न कर राज्य सरकार को सीधे विमुक्त करने के भारत सरकार के निर्णय ने 2014-15 में क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरण को तेजी से कम किया। हालाँकि, सीधा अंतरण 2014-15 के ₹ 130.92 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 258.32 करोड़ हो गया।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे की विवरणी-14 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता-अनुदान अंशदान शामिल है। वर्ष 2011-16 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटन और प्रवृत्तियाँ **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाए गए हैं एवं **चार्ट 1.6** में भी चित्रित किए गए हैं।



राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- वर्ष 2015-16 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ 2014-15 के दौरान पिछले वर्ष के तदनु रूप 20.8 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष 28.7 प्रतिशत बढ़ीं। तथापि, बजट अनुमान की तुलना में, 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ मुख्यतः बी.ई. के प्रतिकूल ज्यादा सी.टी.टी. द्वारा बजट अनुमान (बी.ई.) समायोजन के विरुद्ध भारत सरकार से सहायता-अनुदान (₹ 7,685 करोड़) की कम प्राप्ति के कारण ₹ 7,389 करोड़ कम थीं। 2011-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 16.03 प्रतिशत था।
- स्वयं का कर वर्ष 2011-16 अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व का लगभग दोगुना था।
- वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरण तथा भारत सरकार के अनुदानों से आया, जबकि शेष हिस्सा राज्य के अपने संसाधनों का था। 2014-15 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय योगदान 53 प्रतिशत था।

• चालू वर्ष के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 40,638 करोड़) में राज्य के स्वयं का कर (ओ.टी.आर.) ₹ 11,479 करोड़ (28 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.) ₹ 5,853 करोड़ (15 प्रतिशत), केन्द्रीय कर अंतरण (सी.टी.टी.) ₹ 15,969 करोड़ (39 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 7,337 करोड़ (18 प्रतिशत) सम्मिलित था। तथापि, कुल प्राप्तियों में 2014-15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सी.टी.टी. एवं सहायता-अनुदान की हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी बढ़ी थी।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.5 में प्रस्तुत की गयी है।

**तालिका 1.5 : स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ**

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	22420	24770	26137	31565	40638
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.4	10.5	5.5	20.8	28.7
आर.आर./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	14.9	14.2	13.9	14.5	16.8
राज्य का स्वयं का कर/स.रा.घ.उ.	4.6	4.7	5.0	4.8	4.7
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	18.6	15.8	7.9	15.1	11.4
उत्प्लावकता अनुपात <sup>2</sup>					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.04	0.66	0.70	1.38	2.52
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के	1.16	1.16	1.78	0.68	0.96
राज्य के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व	0.90	0.57	0.39	2.02	2.63

• राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर तीव्र गति से वर्ष 2014-15 के 20.8 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 28.7 प्रतिशत तक बढ़ा।

• वर्ष 2011-12 से 2015-16 वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व की उत्प्लावकता ने 0.66 तथा 2.52 की सीमा के बीच भारी उतार-चढ़ाव दर्शाया। 2015-16 में, यह राजस्व प्राप्तियों (28.7 प्रतिशत) की उच्च वृद्धि दर के कारण और स.रा.घ.उ. के निम्न वृद्धि दर (11.4 प्रतिशत) के कारण अधिकतम (2.52) था। 2013-14 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत था जबकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत था, फलस्वरूप राजस्व उत्प्लावकता में 0.70 की गिरावट आयी जो बाद में 2014-15 तथा 2015-16 में क्रमशः 1.38 तथा 2.52 प्रतिशत तक बढ़ा।

• स.रा.घ.उ. और स्वयं के कर राजस्व दोनों के वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव के कारण, 2011-16 के दौरान स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर ने 0.68 से 1.16 के बीच काफी भिन्नता दर्शाया। 2014-15 के दौरान यह न्यूनतम (0.68) था।

<sup>2</sup> उत्प्लावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है। उदाहरणार्थ, राजस्व उत्प्लावकता 0.6 का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत अंक तक चला जाता है यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत बढ़ता है।

- वर्ष 2011-12 से 2015-16 वर्षों के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. ने वृद्धि दर में 7.9 प्रतिशत से 18.6 प्रतिशत तक का वृहत अन्तर दर्ज किया। 2011-16 के दौरान 12.52 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. पर 2015-16 में स.रा.घ.उ. 11.4 प्रतिशत तक बढ़ा।

### 1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूँकि, केन्द्रीय करों और सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित होता है, संसाधनों को बढ़ाने में राज्य के निष्पादन को अपने संसाधन के संबंध में, जिसमें स्वयं के कर तथा अन्य कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं मूल्यांकित किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य का वास्तविक स्वयं का कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के साथ-साथ चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मूल्यांकन एवं बजट अनुमान तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	14 <sup>वें</sup> वि.आ. के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक
स्वयं का कर राजस्व	13644	14586	11479
कर-भिन्न राजस्व	4759	6304	5853

स्रोत: 14<sup>वें</sup> वि.आ. प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज़ तथा राज्य के वित्त लेखे 2015-16

वर्ष 2015-16 के दौरान, 14<sup>वें</sup> वि.आ. द्वारा ₹ 13,644 करोड़ के किये गये मानक अनुमान एवं बजट के ₹ 14,586 करोड़ के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर राजस्व का संग्रहण ₹ 11,479 करोड़ था। यह कम प्राप्ति मुख्यतः बिक्री कर, राज्य उत्पाद एवं वाहनों पर कर के अनुमान से कमतर संग्रहण के कारण हुआ। वर्ष के दौरान इन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 11,180 करोड़, ₹ 1,200 करोड़ एवं ₹ 901 करोड़ के बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक संग्रहण क्रमशः ₹ 8,999 करोड़, ₹ 912 करोड़ तथा ₹ 633 करोड़ था।

वर्ष 2015-16 में स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर का अनुपात (4.7 प्रतिशत) 14<sup>वें</sup> वि.आ. के 6.32 प्रतिशत के अनुमान से महत्वपूर्ण रूप से कम था।

राज्य का कर-भिन्न राजस्व, वर्ष 2015-16 हेतु ₹ 6,304 करोड़ के 14<sup>वें</sup> वि.आ. के अनुमान (₹ 5,853 करोड़) से थोड़ा कम था।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के कुल संग्रहण तालिका 1.7 में दिये गये हैं।

तालिका 1.7: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	सी.ए.जी.आर	कर संग्रहण पर व्यय (2015-16) प्रतिशत	कर संग्रहण पर व्यय (2014-15) प्रतिशत	कर संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5522	6422	7305	8070	8999	12.99	0.53	0.59	0.91
राज्य उत्पाद	457	578	628	740	912	18.86	2.08	1.98	2.09
वाहनों पर कर	392	465	495	660	633	12.73	0.97	0.94	6.08
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	401	492	502	531	532	7.32	2.43	2.75	3.59
भू राजस्व	53	96	230	84	164	32.63	लागू नहीं	लागू नहीं	
यात्रियों तथा सामग्रियों पर कर	41	1	1	1	0	-60.48	लागू नहीं	लागू नहीं	
अन्य कर	88	170	219	264	239	28.11	लागू नहीं	लागू नहीं	
<b>कुल कर राजस्व</b>	<b>6954</b>	<b>8224</b>	<b>9380</b>	<b>10350</b>	<b>11479</b>	<b>13.35</b>			

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 में कुल कर राजस्व में से, बिक्री कर ने 78 प्रतिशत योगदान दिया तत्पश्चात राज्य उत्पाद (आठ प्रतिशत), वाहनों पर कर (छः प्रतिशत) तथा अन्य करों ने शेष का योगदान किया। राज्य का कर राजस्व 2011-12 के ₹ 6,954 करोड़ से 2015-16 में ₹ 11,479 करोड़ बढ़ गया। कर राजस्व का वृद्धि दर वर्ष 2011-12 में 21.6 प्रतिशत से 2014-15 में 10.30 प्रतिशत तक तेजी से कम हुआ। तथापि, 2015-16 में यह पिछले वर्ष की तुलना में 10.90 प्रतिशत तक बढ़ा। वर्ष 2011-16 अवधि के दौरान राज्य के कर राजस्व का सी.ए.जी.आर. 13.35 प्रतिशत था।

वाणिज्य कर विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि का श्रेय, बेहतर व प्रभावी कर प्रशासन के साथ-साथ पर्याप्त बकाये की वसूली को दिया। विभाग के अनुसार, राज्य उत्पाद संग्रहण भारत निर्मित विदेशी शराब के शुल्क की दर में वृद्धि के कारण बढ़ा।

वर्ष 2015-16 के दौरान, भू राजस्व का संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना हो गया। विभाग द्वारा दिये गये कारण के अनुसार 96.73 प्रतिशत की वृद्धि का श्रेय पुराने बकायों तथा पट्टाधारियों से भूमि के पूँजीगत मूल्य प्राप्ति के जमा को दिया गया।

सभी करों के संग्रहण व्यय में कमी आयी सिवाय राज्य उत्पाद एवं वाहनों पर कर के, जिसमें यह 1.92 प्रतिशत तथा 0.94 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 के दौरान क्रमशः 2.08 तथा 0.97 प्रतिशत हो गया।

### 1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2015-16 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व 14<sup>वें</sup> वि.आ. के उस वर्ष हेतु ₹ 4,759 करोड़ के मानक अनुमान के विरुद्ध ₹ 5,853 करोड़ था।

वर्ष 2011-16 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति तालिका 1.8 में दिया गया है।

**तालिका 1.8: कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति**

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ब्याज प्राप्तियाँ	44.16	72.23	69.48	143.04	122.44
लाभांश एवं लाभ	1.17	15.00	18.00	0.00	0.47
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	2992.89	3448.40	3665.23	4192.02	5730.11
<b>कुल</b>	<b>3038.22</b>	<b>3535.63</b>	<b>3752.71</b>	<b>4335.06</b>	<b>5853.02</b>

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा वर्ष 2014-15 में 13.73 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 14.40 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, पिछले वर्ष के सापेक्ष 2015-16 में एन.टी.आर. मुख्यतः खनिज एवं धातुकर्म उद्योगों (₹ 911 करोड़), अन्य प्रशासनिक सेवा (₹ 507 करोड़) एवं शहरी विकास (₹ 231 करोड़) विभागों के अन्तर्गत प्राप्तियों के कारण महत्वपूर्ण रूप से 35 प्रतिशत तक बढ़ा। 2011-16 के दौरान कर-भिन्न राजस्व का सी.ए.जी.आर. 17.81 प्रतिशत था।

### 1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

गैर-योजना, राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय योजना स्कीमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदानों के विमुक्ति की प्रवृत्ति तालिका 1.9 में दर्शायी गई है:

**तालिका 1.9: भारत सरकार द्वारा विमुक्त घटक-वार अनुदान**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
गैर-योजना अनुदान	1550.77	1483.41	1319.91	1780.26	1685.82
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	2404.61	2393.94	1565.83	4914.69	4950.18
केंद्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान	66.87	30.81	28.28	83.56	50.90
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	1235.16	914.05	1150.96	614.17	650.74
<b>कुल</b>	<b>5257.41</b>	<b>4822.21</b>	<b>4064.98</b>	<b>7392.68</b>	<b>7337.64</b>
पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	28	(-)8	(-)16	82	(-) 0.74
राजस्व प्राप्तियों का कुल अनुदान के सापेक्ष प्रतिशतता	23.45	19.47	15.55	23.42	18.06

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2015-16 के दौरान, भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 7,337.64 करोड़ था जो 2014-15 के ₹ 7,392.68 करोड़ से (-)0.74 प्रतिशत कम हो गया।
- भारत सरकार से गैर-योजना अनुदान 2014-15 के ₹ 1,780.26 करोड़ से घटकर, मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुदानों तथा राज्य के विशिष्ट जरूरतों हेतु अनुदानों में कमी के कारण 2015-16 के दौरान ₹ 1,685.82 करोड़ हो गया।

### 1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

वर्ष 2015-16 के दौरान, केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) 2014-15 के ₹ 9,487 करोड़ के विरुद्ध ₹ 15,969 करोड़ था। राज्य का सी.टी.टी. पिछले वर्ष के सापेक्ष 2015-16 में ₹ 6,482 करोड़ (68 प्रतिशत) तक बढ़ा। यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 1,718 करोड़), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 1,138 करोड़), केन्द्रीय कर तथा शुल्क (₹ 1,251 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 1,356 करोड़) के अन्तर्गत था। 2014-15 के 30.06 प्रतिशत के विरुद्ध 2015-16 के दौरान सी.टी.टी. राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 39.30 प्रतिशत था।

तालिका 1.10: केन्द्रीय कर हस्तांतरण

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	सी.ए.जी.आर.
केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.)	7170	8188	8939	9487	15969	22.16
आर.आर. में सी.टी.टी. का अंश	31.98	30.06	34.20	30.06	39.30	--

### 1.3.4 त्यक्त राजस्व

#### 1.3.4.1 करों का कम निर्धारण, आरोपण न किया जाना, अल्प आरोपण

वर्ष 2015-16 के दौरान, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, विद्युत पर कर तथा शुल्क और खनन प्राप्तियों से संबंधित 123 इकाईयों के अभिलेखों के नमूना जाँच ने 45,954 मामलों में संयुक्त रूप से ₹ 12,737.35 करोड़ राजस्व के कम निर्धारण/अल्प आरोपण/हानि उद्घाटित किया। वर्ष 2015-16 के दौरान, संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 40,355 मामलों में ₹ 12,120.88 करोड़ के कम निर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें से 40,265 मामलों में सन्निहित ₹ 11,774.37 करोड़ 2015-16 के दौरान तथा शेष पूर्व वर्ष में इंगित किये गये। विभागों ने 2015-16 के दौरान 804 मामलों में ₹ 362.23 करोड़ की वसूली की।

#### 1.3.4.2 बकाया राजस्व

31 मार्च 2016 तक, तीन विभागों (वाणिज्य कर, परिवहन तथा राज्य उत्पाद) में राजस्व बकाये की राशि ₹ 3,237.28 करोड़ था जिसमें से ₹ 2,608.99 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। राजस्व बकाये का बड़ा भाग वाणिज्यिक कर विभाग (₹ 2,936.44 करोड़) और परिवहन विभाग



(₹ 270.27 करोड़) से संबंधित था। अन्य विभागों के राजस्व बकाये से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई (अगस्त 2016)।

31 मार्च 2016 तक कुल राजस्व बकाया 2014-15 के 23 प्रतिशत के सापेक्ष राज्य के अपने संसाधनों का 19 प्रतिशत था।

#### 1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राज्य के राजस्व प्राप्तियों के अलावा, राज्य ने पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त किया, जिसमें विनिवेश से प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, वित्तीय संस्थानों से सरकार का आंतरिक उधारों तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। 2011-16 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.11 में दिये गये हैं।

तालिका 1.11: प्राप्तियों की संरचना व वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर.)	2695	5242	4726	6723	13276
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	24	43	23	33	31
लोक ऋण प्राप्तियाँ	2671	5199	4703	6690	13245
पूँजीगत ऋण प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	9.2	94.6	-9.5	42.3	98.0
गैर पूँजीगत ऋण प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	0.0	79.2	-46.51	43.48	-6.06
स.रा.घ.उ. के वृद्धि की दर	18.6	15.8	7.9	15.1	11.4
सी.आर. के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	9.1	94.5	-9.8	42.3	97.5

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 के दौरान, वर्ष 2014-15 के ₹ 6,723 करोड़ के सापेक्ष मुख्यतः 2015-16 में उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना (उदय) बाँड्स के विरुद्ध ₹ 5,553.37 करोड़ की महत्वपूर्ण प्राप्ति के कारण पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹ 13,276 करोड़ तक बढ़ीं। राज्य के पूँजीगत प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 48.98 प्रतिशत था।

वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य ने उर्जा क्षेत्र के कम्पनियों को निधि प्रदान करने हेतु 8.51 प्रतिशत औसत ब्याज दर से 10 झारखण्ड विशेष बाँडों (उदय बाँड) के रूप में ₹ 5,553.37 करोड़ उधार लिया परिणामस्वरूप 2015-16 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व (29.7 प्रतिशत) में तीव्र वृद्धि हुई।

वित्त लेखे के अनुसार, 2015-16 के दौरान विनिवेश से प्राप्ति 'शून्य' था।

#### 1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ

दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों के विरुद्ध वसूली काफी कम थी। विगत पाँच वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों एवं की गयी वसूली के विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 1.12: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ऋणों का आरंभिक शेष	6997	7190	7748	7947	8738
दिये गये ऋण	21	601	222	824	7480
की गई वसूली	24	43	23	33	31
ऋणों का अंतिम शेष	7190	7748	7947	8738	16,187

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) जिसे 2013 के दौरान चार भागों में बाँटा गया, प्रत्येक वर्ष दिये गए ऋणों व अग्रिमों का मुख्य प्राप्तकर्ता था परन्तु इसका कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 के अंत में विद्युत प्रक्षेत्र का ऋणों के रूप में ₹ 15,455 करोड़ का बकाया हो गया। 2015-16 के दौरान, विद्युत परियोजनाओं हेतु ₹ 7,375 करोड़ का ऋण दिया गया। प्राप्त पुनर्भुगतान मुख्यतः सरकारी सेवकों को दिये गये ऋण व अग्रिमों के विरुद्ध थे। वर्ष 2011-16 अवधि हेतु दिये गये ऋण तथा ऋणों के अंतिम शेष के सी.ए.जी.आर. क्रमशः 142.30 एवं 27.81 प्रतिशत थे।

#### 1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

संसाधनों के अंतर को पाटने तथा पूँजीगत खर्च को पूरा करने के लिए, राज्य आंतरिक बाजार से निधियों का सृजन करता है। आंतरिक बाजार उधार 2011-12 के ₹ 2,409 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 53.31 प्रतिशत सी.ए.जी.आर. के साथ ₹ 13,080 करोड़ हो गया। 2015-16 के दौरान, आंतरिक ऋण के प्रमुख घटक क्षतिपूर्ति शीर्षातर्गत उदय बाँड एवं अन्य बाँड (₹ 5,553 करोड़) और बाजार ऋण (₹ 5,350 करोड़) थे।

#### 1.4.3 भारत सरकार (भा.स.) से ऋण व अग्रिम

राज्य योजना स्कीमों के लिए भारत सरकार से ऋण व अग्रिम प्राप्त हुए एवं 2011-16 के दौरान ये ₹ 33 करोड़ से ₹ 239 करोड़ के मध्य दोलित थे। यह 2014-15 के ₹ 153 करोड़ से 2015-16 में ₹ 165 करोड़ बढ़ा।

### 1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

विशेष प्रकार के लेन-देन यथा-लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं तथा जो राज्य के विधानमंडल के वोट का विषय नहीं होते

हैं, के संबंध में प्राप्तियाँ तथा संवितरण लोक लेखे में रखे जाते हैं। संवितरणों के पश्चात बचा शेष सरकार के उपयोग के लिये उपलब्ध निधि होती है। लोक लेखे की प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.13 में दिया गया है।

**तालिका 1.13: लोक लेखे की प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ**

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
<b>लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>	<b>10813</b>	<b>14495</b>	<b>14275</b>	<b>20189</b>	<b>29037</b>
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	613	668	760	843	830
आरक्षित निधि	138	280	293	308	522
जमा तथा अग्रिम	5236	8706	7204	12182	19499
उचंत तथा विविध	306	199	-59	18	161
प्रेषण	4520	4642	6077	6838	8025

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे


जमा एवं अग्रिम में 2014-15 के ₹ 12,182 करोड़ से 2015-16 में ₹ 19,499 की वृद्धि के कारण लोक लेखा प्राप्तियाँ 2014-15 के ₹ 20,189 करोड़ से 2015-16 में ₹ 29,037 करोड़ तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ीं। जमा एवं अग्रिम मुख्यतः ₹ 6,421 करोड़ तक राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधि एवं ₹ 226 करोड़ तक अन्य निधियों के अन्तर्गत बढ़ीं। लोक लेखा प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 2011-16 अवधि के दौरान 28.01 प्रतिशत था।

## 1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण उल्लेखनीय महत्व रखता है क्योंकि इनमें वृहत व्यय करने के उत्तरदायित्व निहित हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों की संरचना के अन्तर्गत, घाटे और उधारों द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय के सृजन में बजटीय बाध्यताएँ होती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय शुद्धि और समेकन प्रक्रिया सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किये जाने वाले व्यय की कीमत पर न हो।

### 1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.7 विगत पाँच वर्षों (2011-16) की अवधि के दौरान कुल व्यय तथा इसके संघटक की प्रवृत्तियों को दर्शाता है।



विगत पाँच वर्षों से कुल व्यय (टी.ई.) का सी.ए.जी.आर. 20.98 प्रतिशत था। 2015-16 के दौरान राज्य के कुल व्यय की राशि 2014-15 के सापेक्ष (₹ 14,030 करोड़) अधिक था।

- कुल व्यय में, राजस्व व्यय 70 प्रतिशत, जबकि पूँजीगत व्यय 16 प्रतिशत था। वितरित ऋण व अग्रिम कुल व्यय का 14 प्रतिशत था।

#### 1.6.1.1 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2015-16 के दौरान, पूँजीगत व्यय वर्ष 2014-15 के ₹ 5,543 करोड़ के विरुद्ध ₹ 8,159 करोड़ बढ़ गया। कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता 2014-15 के 15 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2015-16 में 16 प्रतिशत रहा। स.रा.घ.उ. से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2014-15 के दौरान के 2.6 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2015-16 के दौरान 3.4 प्रतिशत था।

#### 1.6.2 राजस्व व्यय (आर.ई.)

वर्ष 2014-15 के 83 प्रतिशत के विरुद्ध 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय (आर.ई.) कुल व्यय (₹ 52,192 करोड़) का 70 प्रतिशत था। आर.ई. वर्ष 2011-12 के ₹ 20,992 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 36,553 करोड़ तक निरंतर (74 प्रतिशत तक) बढ़ा। 2015-16 के दौरान, राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 15.1 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान आर.ई. का सी.ए.जी.आर. 14.87 प्रतिशत था।

#### 1.6.2.1 योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)

योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) वर्ष 2014-15 के ₹ 12,436 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 15,793 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान पी.आर.ई. बजट अनुमान से ₹ 6,563 करोड़ कम था। कुल राजस्व व्यय में पी.आर.ई. का हिस्सा 2014-15 के 39 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 43 प्रतिशत हो गया। पी.आर.ई. में वृद्धि सामान्य सेवाओं (₹ 259 करोड़ तक), सामाजिक सेवाओं (₹ 2,197 करोड़ तक) एवं आर्थिक सेवाओं (₹ 900 करोड़ तक) में बढ़ोत्तरी के कारण हुआ। योजना राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 2011-16 के दौरान 19.88 प्रतिशत था।

### 1.6.2.2 गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)

वर्ष 2015-16 के दौरान, एन.पी.आर.ई. ₹ 20,987 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध ₹ 20,760 करोड़ था। एन.पी.आर.ई. की वृद्धि दर वर्ष 2014-15 के 13 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में सात प्रतिशत हो गया। 2011-16 अवधि के दौरान कुल राजस्व व्यय से एन.पी.आर.ई. की प्रतिशतता 57 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच दोलित रही। 2015-16 के दौरान, एन.पी.आर.ई. राजस्व व्यय का 57 प्रतिशत था। राज्य के एन.पी.आर.ई. का सी.ए.जी.आर. 2011-16 के दौरान 11.68 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2015-16 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत एन.पी.आर.ई. मुख्यतः शिक्षा (₹ 3,228 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 1,063 करोड़), जल आपूर्ति, स्वच्छता, नगर विकास व आवास (₹ 1,780 करोड़), समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 2,126 करोड़) और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण (₹ 1,061 करोड़) पर वहन किया गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत, एन.पी.आर.ई. मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 3,146 करोड़), कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 982 करोड़) पर वहन किया गया।

### 1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल है। तालिका 1.14, चार्ट 1.8 तथा चार्ट 1.9 2011-16 के दौरान इन अवयवों पर व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.14: वेतन और मजदूरियों, सब्सिडी, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों पर व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान <sup>#</sup>	वास्तविक
वेतन और मजदूरी, जिसमें	6352(28)	6446(26)	6934(27)	7417(24)	9686	8218(20)
गैर योजना शीर्ष	6150(27)	6270(25)	6766(26)	7193(23)	9196	7943(19)
योजना शीर्ष	202(1)	176(1)	168(1)	224(1)	490	275(1)
ब्याज भुगतान	2267(10)	2391(10)	2614(10)	2929(9)	3447	3320(8)
पेंशन	2297(10)	2931(12)	3484(13)	3463(11)	4493	3990(10)
सब्सिडी	286(2)	270(1)	187(1)	246(1)	¥	522(1)
<b>कुल</b>	<b>11202(50)</b>	<b>12054(49)</b>	<b>13219(51)</b>	<b>14055(45)</b>		<b>16050(39)</b>



स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

\* इसमें सहायता-अनुदान से भुगतान किया गया वेतन भी सम्मिलित है।

# बजट अनुमान सकल आँकड़े हैं जबकि वास्तविक शुद्ध आँकड़े हैं।

¥ बजट उपलब्ध नहीं।



वर्ष 2014-15 के 43 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2015-16 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 8,218 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 3,320 करोड़) और पेंशन (₹ 3,990 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 42 प्रतिशत लेखापित था एवं 2014-15 के 44 प्रतिशत के सापेक्ष 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 38 प्रतिशत भाग का उपयोग किया। वर्ष 2015-16 के दौरान वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतानों पर कुल गैर-योजना व्यय सम्मिलित रूप से एन.पी.आर.ई. का 73 प्रतिशत लेखापित था।

- राजस्व प्राप्तियों से वेतन व मजदूरी की प्रतिशतता 2014-15 के 24 से घटकर 2015-16 में 20 हो गयी। 2011-16 अवधि के दौरान वेतन व मजदूरी का सी.ए.जी.आर 6.65 प्रतिशत था।
- वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-योजना शीर्षों के अन्तर्गत वेतन व मजदूरी पर व्यय (₹ 7,943 करोड़) पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 750 करोड़ (10 प्रतिशत) तक बढ़ा।

### पेंशन

- 14.80 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. से पेंशन पर व्यय वर्ष 2011-12 के ₹ 2,297 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 3,990 करोड़ हो गया। 2015-16 के दौरान, पेंशन पर व्यय पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 527 करोड़ तक बढ़ गया। पिछले वर्ष के (-) 0.6 प्रतिशत के विरुद्ध 2015-16 के दौरान पेंशन का वृद्धि दर 15 प्रतिशत था। पेंशन भुगतान 2015-16 के बजट अनुमान (₹ 4,493 करोड़) से ₹ 503 करोड़ (11 प्रतिशत) कम था।
- भविष्य में पेंशन के बोझ को कम करने के लिए राज्य ने 01 जनवरी 2004 से अंशदायी पेंशन योजना अपनाया है। राज्य ने न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के साथ 20 मार्च 2009 को एक करार किया।

### ब्याज भुगतान

- 14<sup>वें</sup> वि.आ. के ₹ 3,623 करोड़ के मानक अनुमान के विरुद्ध वर्ष 2015-16 के दौरान ब्याज भुगतान ₹ 3,320 करोड़ रहा। पिछले वर्ष के सापेक्ष ब्याज भुगतान की वृद्धि दर 13 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में, ब्याज भुगतान वर्ष 2015-16 के दौरान आठ प्रतिशत थी। 2011-16 के दौरान राज्य द्वारा भुगतान किये गये ब्याज का सी.ए.जी.आर. 10.01 प्रतिशत था।
- वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक तालिका 1.15 में दिए गये हैं:

तालिका 1.15: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

भुगतान किया गया ब्याज	2014-15	औसत ब्याज दर	2015-16	औसत ब्याज दर
आंतरिक ऋण	2530.62	8.34	2968.19	7.76
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	131.94	6.31	122.93	5.89
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	262.93	18.04	221.79	17.37
अन्य	3.66	0.05	7.18	0.09
<b>कुल</b>	<b>2929.15</b>	<b>7.22</b>	<b>3320.09</b>	<b>6.63</b>

### सब्सिडी

- वर्ष 2015-16 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने ₹ 522 करोड़<sup>3</sup> मुख्यतः 2401-फसल उत्पादन (₹ 326 करोड़), 2852-उद्योग (₹ 97 करोड़), 2404 डेयरी विकास (₹ 68 करोड़) एवं 2403-पशुपालन (₹ 14 करोड़) शीर्ष के अन्तर्गत सब्सिडी के रूप में भुगतान किया जो विशेष रूप से सब्सिडी हेतु उप-शीर्ष के अधीन दर्ज किए गये थे। वर्ष 2014-15 में ₹ 246 करोड़ की सब्सिडी की राशि 2015-16 में बढ़कर ₹ 522 करोड़ हो गई।

<sup>3</sup> वित्त लेख के परिशिष्ट II

- वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे के परिशिष्ट II के अनुसार, खाद्य, ऊर्जा एवं सिंचाई उद्देश्यों हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई।

#### 1.6.4 वृहत कार्यक्रम

राज्य में सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत कई फ्लैगशिप योजनाएँ कार्यान्वित हुईं जिसके लिए बजट में राज्य योजना (रा.यो.) तथा केन्द्रीय योजना (के.यो.) के तहत निधियाँ प्रदान की गईं। वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य योजना के अन्तर्गत 21 मुख्य फ्लैगशिप योजनाओं के लिए ₹ 15,622 करोड़ का बजट आवंटन किया गया, जिसमें से ₹ 15,548 करोड़ का उपयोग किया गया। केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत किये गये ₹ 36,722.52 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध ₹ 31,287.11 करोड़ का उपयोग किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान कुछ वृहत कार्यक्रमों पर रा.यो. तथा के.यो. के अन्तर्गत हुए वास्तविक व्यय तथा बजट प्रावधान को तालिका 1.16 में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.16 वृहत कार्यक्रमों पर व्यय**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
<b>राज्य योजना</b>			
1.	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण	6136.37	6136.37
2.	मुख्य सड़क	2728.12	2653.24
3.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क	1015.91	1013.01
4.	झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण हेतु ऋण	576.29	576.29
5.	सर्व शिक्षा अभियान	477.17	477.17
6.	मुख्य मंत्री ग्राम योजना	443.51	444.50
7.	पात्र गृहस्थ योजना/मुख्यमंत्री कन्या दान योजना	385.60	385.49
8.	स्वर्ण रेखा परियोजना	391.33	371.83
<b>केन्द्रीय योजना</b>			
1.	समेकित बाल विकास योजना	971.59	966.72
2.	सरदार पटेल शहरी गृह योजना	82.00	71.89
3.	ग्राम न्यायालय सहित न्यायालय को उपलब्ध आधारभूत संरचना का विकास	50.83	46.61
4.	कृषि विकास एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय अभियान	54.28	36.40

जैसा कि तालिका 1.16 से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 के दौरान उक्त योजनाओं पर व्यय बजट आवंटन के सममूल्य है।

#### स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

पिछले चार वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदान एवं ऋण के रूप में सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.17 में प्रस्तुत की गई है।



तालिका 1.17: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पंचायती राज्य संस्थाएँ (पी.आर.आई.)	581.06	3078.86	910.68	3378.42	3407.48
शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.)	25.34	330.54	88.38	1619.77	1830.77
सार्वजनिक उपक्रम	777.00	450.02	1528.89	3643.86	3987.54
स्वायत्त निकाय	677.85	1837.02	2451.34	2512.95	5480.60
गैर-सरकारी संस्थाएँ	209.68	199.40	106.65	684.99	0.00
अन्य	2259.30	1054.48	1335.91	564.03	184.53
<b>कुल</b>	<b>4530.23</b>	<b>6950.32</b>	<b>6421.85</b>	<b>12404.02</b>	<b>14890.92</b>
राजस्व व्यय, प्रतिशत के रूप	21.58	29.70	27.36	39.01	40.74

स्रोत: वित्त लेखे के विवरणी आठ

स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता 34.65 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. के दर से वर्ष 2011-12 के ₹ 4,530.23 करोड़ से निरन्तर बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 14,890.92 करोड़ हो गया। वित्तीय सहायता की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 (-) आठ प्रतिशत से 2014-15 में 93 प्रतिशत के बीच तेजी से बढ़ा जिसमें पुनः 2015-16 में 20 प्रतिशत की कमी आयी। यू.एल.बी. एवं पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता के उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट शीर्ष 3604-यू.एल.बी. एवं पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता के बजाय शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमित सेवा शीर्षों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। पी.आर.आई. एवं यू.एल.बी. को दी गई सहायता राशि में संबंधित विभागीय व्यय के लेखाओं के अंतर्गत लघु शीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 एवं 198 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई राशि (₹ 708 करोड़) शामिल नहीं है।

#### 1.6.5 स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों के कार्यों और निधियों का हस्तांतरण

##### स्थानीय शहरी निकाय (यू.एल.बी.)

74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) में उन शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन के निर्माण को परिकल्पित किया गया जहाँ नगरपालिकाओं को शासन के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तदनुसार 18 कार्यों यथा- नगर योजना, भू-प्रयोग विनियमन, जल-आपूर्ति इत्यादि स्थानीय निकायों के नामे किया जाना था। पुनः ग्यारहवें वित्त आयोग (इ.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय निकायों के लिए निधि लघु-शीर्षों 191-नगर निगमों को सहायता, 192-नगर पालिकाओं/परिषदों को सहायता और 193-नगर पंचायतों को सहायता के अधीन आवंटित किए जाने हैं। राज्य सरकार ने झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम, 2011 में समाविष्ट सभी 18 कार्यों को फरवरी 2012 में सौंपा जिसे परिशिष्ट 1.5 भाग ए में दर्शाया गया है। अभी राज्य में 39 यू.एल.बी.

(नगर निगम-3, नगर परिषद-14, नगर पंचायत-19, नगर पालिका-1 तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-2) है।

तालिका 1.18 में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2011-16 की अवधि के दौरान यू.एल.बी. को ₹ 3,895 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। वर्ष 2011-16 के दौरान यू.एल.बी. को प्रदत्त वित्तीय सहायता में काफी उतार चढ़ाव हुआ। जबकि, यह 2015-16 में ₹ 1,831 करोड़ तक बढ़ा।

यू.एल.बी को उपलब्ध कराई गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 1.18: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.)	22420	24770	26137	31565	36553	141445
राज्य का राजस्व व्यय (आर.ई.)	20992	23400	23472	31795	40638	140297
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	25	331	88	1620	1831	3895
राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय सहायता का प्रतिशत	0.11	1.34	0.34	5.13	4.51	2.75
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	0.12	1.41	0.37	5.10	5.01	2.78
स्वयं के संग्रह <sup>4</sup>	46.33	88.03	45.54	8.96	14.99	203.85

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय शहरी निकायों को निधि प्रदान करने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। तृतीय राज्य वित्त आयोग जिसका गठन अधिसूचना सं.1012/FoO दिनांक 08.04.2015 द्वारा किया गया था के द्वारा भी स्थानीय शहरी निकायों को राशि सौंपने के संबंध में सितम्बर 2016 तक कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई थी।

पुनः स्थानीय शहरी निकायों को कार्यों एवं निधियों के हस्तांतरण के संबंध में सूचना (सितम्बर 2012, सितम्बर 2013, नम्बर 2013, जून 2015, सितम्बर 2015 एवं सितम्बर 2016) शहरी विकास विभाग से मांगी गई। उनके जबाब अबतक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

झारखण्ड में, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण तथा तकनीकी मार्गदर्शन का कार्यभार (टी.जी.एस.) अक्टूबर, 2011 में सौंपा है। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित किया गया जिसके तहत राज्य स्तर पर निदेशक-स्थानीय निधि (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखा परीक्षा करने का प्रावधान

<sup>4</sup> अपने स्रोतों से स्थानीय शहरी निकायों द्वारा संग्रहित निधियों के संबंध में सूचना शहरी विकास विभाग द्वारा नहीं उपलब्ध कराये गये। तथापि, यू.एल.बी. के लेखापरीक्षा के दौरान सूचना एकत्रित की गई।

अंतर्निहित है जिसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन व दिशानिर्देश दिया जाना है। राज्य सरकार ने डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए 22 पदों का सृजन (मार्च 2013) में किया एवं नवम्बर 2014 में डी.एल.एफ.ए. की नियुक्ति की गई। डी.एल.एफ.ए. द्वारा अगस्त 2016 में सूचित किया गया कि 3 लेखा उपनियंत्रक और 14 लेखापरीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा वास्तविक प्राचलन के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। तथापि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा अप्रैल 2012 से टी.जी.एस. के अनुसार स्थानीय निकायों का नमूना जाँच के आधार पर लेखापरीक्षा किया जा रहा है।

### पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य सरकार ने त्रि-स्तरीय पी.आर.आई. प्रणाली अर्थात् जिला स्तर पर जिला पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन के लिए 2001 में झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पास किया। पी.आर.आई. को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने हेतु नियम बनाये गये। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पी.आर.आई. को हस्तांतरित निधियों का वर्गीकरण, मुख्य 2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता एवं 2217-शहरी विकास के अन्तर्गत लघु-शीर्षो 196-जिला परिषद् को सहायता, 197-प्रखंड पंचायत को सहायता और 198-ग्राम पंचायत को सहायता के अधीन किया गया है।

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विमुक्त निधियों का प्रयोग पंचायती राज संस्थानों द्वारा ग्रामीण जनता के नागरिक सुविधाओं के मदों से संबंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के निष्पादन पर खर्च किया जाना था। वर्तमान में राज्य में कुल 4,706 पंचायती राज संस्थाएँ<sup>5</sup> हैं। वर्ष 2011-16 के दौरान, पंचायती राज संस्थानों को कुल ₹ 11,356 करोड़ का भुगतान किया गया जो निम्नवत है:

### तालिका 1.19 पंचायती राज संस्थानों को उपलब्ध निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (आर. आर.)	22420	24770	26137	31565	40638	145530
राज्य का राजस्व व्यय (आर. ई.)	20992	23400	23472	31795	36553	136212
पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता	581	3079	911	3378	3407	11356
राजस्व प्राप्तियों से वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	2.59	1.96	3.49	10.70	8.38	7.80
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	2.77	2.08	3.88	10.62	9.32	8.34

<sup>5</sup> 24 जिला परिषद, 259 पंचायत समितियों, एवं 4,423 ग्राम पंचायतें

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने पी.आर.आई. को निधि प्रदान करने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। तृतीय राज्य वित्त आयोग जिसका गठन अधिसूचना सं.1012/FoO दिनांक 08.04.2015 द्वारा किया गया था के द्वारा भी पी.आर.आई. को राशि सौंपने के संबंध में जनवरी 2016 तक कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई थी।

राज्य सरकार अक्टूबर 2012 में पंचायतों को निधियों के अंतरण का आदेश जारी किया। जैसा कि **परिशिष्ट 1.5 भाग बी** में वर्णित है, कुल अनुबद्ध 29 कार्यों में से अगस्त 2015 तक 16 कार्यों को पी.आर.आई. को सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सुपुर्द किया गया था। इस संबंध में जून 2015, सितम्बर 2015 एवं सितम्बर 2016 में अद्यतन स्थिति की सूचना माँगी गयी है जिसका जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा (मार्च 2011) के अनुसार, राज्य सरकार ने 'झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखे) विनियमन 2010 को अधिसूचित किया (मार्च 2011), तदनुसार पी.आर.आई. का लेखांकन किया जाता है।

डी.एल.एफ.ए. ने अगस्त 2016 में सूचित किया कि तीन लेखा उपनियंत्रक और 14 लेखापरीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा वास्तविक प्राचलन के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। जबकि, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा अप्रैल 2012 से टी.जी.एस. प्रबंधन के अनुरूप नमूना जाँच के आधार पर स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की जा रही है।

### 1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मुख्यतः तीन पहलू यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए लागत-परिणाम का मूल्यांकन) सम्मिलित है।

राज्य के कुल व्यय का वृद्धि दर वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष के संगत वृद्धि दर 34.3 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2015-16 के दौरान 36.8 प्रतिशत था।

वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय में विकास व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) 86 प्रतिशत था, जबकि गैर-विकास व्यय 14 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 के दौरान विकास व्यय पिछले वर्ष के सापेक्ष 46 प्रतिशत बढ़ा, जबकि गैर-विकास व्यय में पिछले वर्ष के सापेक्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

#### 1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गये सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित व्यय का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। इस प्रकार, राज्य में मानवीय विकास का स्तर बढ़ाने के क्रम में, मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि

पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय श्रेणी से व्यय का अनुपात) किसी विशेष क्षेत्र से संलग्न की जाती है यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम है।

वर्ष 2012-13 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2015-16 के दौरान विकासोन्मुखी व्यय, सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और पूँजीगत व्यय के संदर्भ में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 1.20 विश्लेषित करता है।

**तालिका 1.20: वर्ष 2012-13 और वर्ष 2015-16 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता**

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता*	ए.ई./ स.रा.घ.उ.	डी.ई.#/ ए.ई.	एस.एस.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-2013	14.14	70.03	38.47	13.70	17.72	4.72
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2012-2013	16.15	68.49	33.16	14.95	15.95	3.10
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16	16.05	70.63	36.29	14.89	15.63	4.45
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2015-16	21.57	75.82	30.49	15.63	12.73	4.16

टिप्पणी: जी.सी.एस. के कुल व्यय के अनुपात में जम्मू और कश्मीर एवं मनीपूर शामिल नहीं हैं, जबकि अन्य व्यय में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है।

\* स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में

ए.ई.: सकल व्यय (कुल व्यय), डी.ई.: विकास पर व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, सी.ई.: पूँजीगत व्यय

# विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम का वितरण शामिल है।

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार का वेबसाइट।

वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान झारखण्ड राज्य अपने स.रा.घ.उ. का थोड़ा अधिक हिस्सा विकास व्यय पर खर्च किया। तदंतर, इन दोनों वर्षों में स.रा.घ.उ. से कुल व्यय का औसत सामान्य श्रेणी के राज्यों से अधिक था।

झारखण्ड में सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय 2012-13 के अनुपात में 2015-16 के दौरान अपेक्षाकृत काफी अधिक था, जबकि 2015-16 के दौरान ए.ई. के सापेक्ष एस.एस.ई. का अनुपात 2012-13 के संगत अनुपात से कमतर था। 2015-16 के दौरान झारखण्ड में ए.ई. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय उच्चतर था।

वर्ष 2015-16 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य ने विकास व्यय एवं पूँजीगत व्यय को अधिक प्राथमिकता दी, जबकि राज्य द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय को कम प्राथमिकता दी गई है।

### 1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ प्रदान करने वाले परिसम्पतियों के सृजन पर किए गए व्यय को विकास पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि राजस्व व्यय चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए व्यय हैं।

तदंतर, सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि सही व्यय हेतु बुद्धिसंगत मापदंड को अपनाया जाय और कोर पब्लिक गुड्स<sup>6</sup> के प्रावधान पर जोर दे। विकास व्यय<sup>7</sup> हेतु आवंटन के सुधार के अलावा कुल व्यय (और स.रा.घ.उ.) का पूँजीगत व्यय से अनुपात और विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हो रहे समानुपातिक राजस्व व्यय, व्यय के उपयोग की दक्षता को भी प्रतिबिम्बित करती है। इन अवयवों का कुल व्यय (और स.रा.घ.उ.) से अनुपात जितना ऊँचा होगा व्यय की प्रकृति उतनी ही बेहतर होगी। राज्य के वार्षिक लेखों की समीक्षा में यह उद्घटित हुआ कि:

- शिक्षा के क्षेत्र में पूँजीगत व्यय वर्ष 2014-15 में ₹ 82.97 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 103.38 करोड़ हो गया जो वर्ष 2015-16 के बजट में निर्धारित ₹ 202.40 करोड़ के पूँजीगत व्यय से काफी कम था।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में पूँजीगत व्यय वर्ष 2014-15 में ₹ 260.97 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 339.87 करोड़ हो गया। तथापि, इन क्षेत्रों के लिए पूँजीगत व्यय वर्ष 2014-15 के बजट में निर्धारित ₹ 429.03 करोड़ से काफी कम था।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता, भवन एवं शहरी विकास में पूँजीगत व्यय, वर्ष 2014-15 में ₹ 188.90 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 247.02 करोड़ हो गया। इस वर्ष जल आपूर्ति, स्वच्छता, भवन एवं शहरी विकास के लिए ₹ 354.79 करोड़ का बजट प्रावधान था।

**तालिका 1.21** वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के कुल व्यय की तुलना में विकास योजनाओं पर व्यय की प्रवृत्ति के साथ-साथ पिछले वर्षों के दौरान बजटीय राशि और व्यय को प्रस्तुत करता है।

<sup>6</sup> कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं इस रूप में कि एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल गुड्स दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल गुड्स में कमी नहीं करता हो जैसे: कानून और आदेश का प्रवर्तन, हमारे अधिकार बचाव एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय गुड्स और पथ के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि।

<sup>7</sup> व्यय आँकड़ों का विश्लेषण विकास और गैर विकास व्यय में समुच्ययित है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय, ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किए गए हैं। हमारे आँकड़ों में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय में शामिल हैं जबकि सामान्य सेवाएँ गैर-विकासात्मक व्यय हैं।

तालिका 1.21: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास पर व्यय के घटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट आकलन*	वास्तविक
<b>विकास व्यय</b>						
विकास पर राजस्व व्यय	13146(54)	14704(52)	13512(48)	21171(55)	30033	24551(47)
विकास पर पूँजीगत व्यय	3003(12)	4042(14)	4554(16)	5217(14)	8156	7588 (15)
विकास से संबंधित ऋण एवं अग्रिम	199(1)	582(2)	209(1)	807(2)	1154	7431(14)
<b>कुल</b>	<b>16348</b>	<b>19328</b>	<b>18275</b>	<b>27195</b>	<b>39343</b>	<b>39570</b>
कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय (रा.व्य+पू. व्य+ऋण एवं अग्रिम) से प्रतिशतता को दर्शाते हैं।						
* बजट आकलन का सकल आँकड़ा है जबकि वास्तविक का निवल आँकड़ा है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा बजट प्रकाशन

- राज्य के विकास व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिमों सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय शामिल है। मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास एवं ग्रामीण विकास राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत एवं पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत यातायात एवं सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर व्यय के कारण विकास व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 में ऋणात्मक पाँच प्रतिशत से सुधर कर वर्ष 2014-15 में 49 प्रतिशत तथा 2015-16 में 46 प्रतिशत रहा। तालिका 1.21 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 के दौरान कुल विकास व्यय बजट आकलन से अधिक था।
- वर्ष 2011-16 के दौरान कुल व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 47 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2011-16 के दौरान विकास राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 16.90 प्रतिशत था।
- कुल व्यय में विकासपरक पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी (विकासपरक ऋण एवं अग्रिम सहित) वर्ष 2014-15 के दौरान 16 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 29 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011-16 के दौरान विकासपरक पूँजीगत व्यय का सी.ए.जी.आर. 26.08 प्रतिशत था, जो कि विकासपरक राजस्व व्यय की तुलना में अधिक था।
- वर्ष 2015-16 के दौरान वास्तविक विकासपरक पूँजीगत व्यय एवं विकासपरक ऋण एवं अग्रिम बजट आकलन के ₹ 8,156 करोड़ एवं ₹ 1,154 करोड़ के विरुद्ध ₹ 7,588 करोड़ एवं ₹ 7,431 करोड़ था।

**चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में किया गया व्यय**

तालिका 1.22 राज्य द्वारा किये जाने वाले कुछ मुख्य सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के घटकों का दो वर्षों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.22: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक ढाँचा	2014-15			2015-16		
	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर.ई. में हिस्सा		टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर.ई. में हिस्सा	
		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.*		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.
<b>सामाजिक सेवार्य (एस.एस.)</b>						
सामान्य शिक्षा	0.12	51.47	0.01	0.10	33.53	0.01
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16.97	43.45	0.01	15.65	32.19	0.01
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं एच.यू.डी.	9.80	7.71	1.67	9.37	5.61	0.59
<b>कुल (एस.एस.)</b>	<b>7.08</b>	<b>26.18</b>	<b>0.31</b>	<b>6.44</b>	<b>21.01</b>	<b>0.22</b>
<b>आर्थिक सेवार्य (ई.एस.)</b>						
कृषि एवं सहबद्ध कार्यकलाप	7.86	32.94	0.07	7.23	24.34	0.00
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	53.46	95.45	22.39	78.33	98.44	0.18
विद्युत और ऊर्जा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
परिवहन	74.64	15.07	31.57	90.90	36.21	75.84
<b>कुल (ई.एस.)</b>	<b>27.64</b>	<b>13.69</b>	<b>4.06</b>	<b>27.74</b>	<b>13.05</b>	<b>1.34</b>
<b>कुल (एस.एस.+ई.एस.)</b>	<b>18.35</b>	<b>20.72</b>	<b>1.95</b>	<b>19.18</b>	<b>17.86</b>	<b>0.66</b>
टी.ई.: उस क्षेत्र का कुल व्यय; सी.ई.: पूँजीगत व्यय; आर.ई.: राजस्व व्यय; एस. और डब्ल्यू: वेतन एवं मजदूरी; ओ. और एम.: संचालन और रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मत के अन्तर्गत वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- तालिका में वर्णित सेवाओं पर कुल विकासात्मक व्यय से विकासात्मक पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2014-15 के 18.35 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 19.18 प्रतिशत हो गया।
- सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में वेतन वर्ष 2014-15 में क्रमशः 26.18 प्रतिशत एवं 13.69 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 21.01 प्रतिशत एवं 13.05 प्रतिशत हो गया।
- सामाजिक सेवाओं में, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय के अंतर्गत सामान्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में प्रचालन एवं रखरखाव व्यय के हिस्सेदारी समान रही जबकि जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा शहरी विकास मद की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 1.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.59 प्रतिशत हो गया।
- आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय की हिस्सेदारी में वर्ष 2014-15 के 22.39 प्रतिशत से तीव्रता से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.18 प्रतिशत हो गया, जबकि परिवहन मद में 2014-15 के 31.57 से 2015-16 में 75.84 प्रतिशत तक तीव्रता से बढ़ा।



## 1.8 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम के उत्तरवर्ती रूप रेखा में, राज्य से न केवल राजकोषीय घाटे (और उधार) को निम्न स्तर पर रखने बल्कि इसके पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रिम सहित) की आवश्यकता को भी पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में बदलाव के राज्य सरकार को अपने निवेश पर अधिक आय के लिए और स्पष्ट सब्सिडी के रूप में बजट पर प्रभारित करने की अपेक्षा उधारित निधि की लागत को वसूल करने के लिए मानक अपनाने की आवश्यकता है और वित्तीय संचालन में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। यह खण्ड पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान निवेश और सरकार द्वारा किये गये अन्य पूँजीगत व्यय के व्यापक वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

### 1.8.1 पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों को वित्त लेखे के परिशिष्ट-VIII (i) में प्रस्तुत किया गया है। वित्त लेखे 2015-16 के परिशिष्ट-VIII (i) के अनुसार राज्य में 42 सिंचाई परियोजनाएँ चल रही हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान वित्त वर्ष के अन्त में इन परियोजनाओं का कुल पूँजीगत परिव्यय ₹ 1,353.75 करोड़ था जिसमें से ₹ 1,154.29 करोड़ कार्यकारी व्यय एवं रखरखाव पर खर्च हुए। 2015-16 के दौरान ₹ 60.64 करोड़ इन योजनाओं से राजस्व के रूप में प्राप्त हुए।

### 1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2016 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभाग-वार सूचना, जिन्हें वित्त वर्ष के अंत तक पूर्ण करना था, तालिका 1.23 में दी गयी है।

तालिका 1.23: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं का अनुमानित लागत	31.3.2016 का समुच्चयित व्यय
पथ निर्माण	119	1233.85	1279.76
ग्रामीण अभियांत्रिक संस्थान	13	146.27	163.93
भवन निर्माण	18	147.68	75.58
सिंचाई विभाग	45	11208.72	569.58
<b>कुल</b>	<b>195</b>	<b>12736.52</b>	<b>2088.85</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2015-16 की परिशिष्ट x

अपूर्ण कार्य पर निधियों को अवरोधित करना व्यय के गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये सभी अपूर्ण 195 परियोजनायें (अनुमानित खर्च ₹ 12,736.52 करोड़) 31 मार्च 2016 तक पूर्ण किये जाने थे,

जो नहीं किये जा सके, फलतः 2015-16 तक उन योजनाओं पर किये गये व्यय की राशि ₹ 2,088.85 करोड़ अवरोधित रहा। परियोजना कार्यों के निष्पादन में विलम्ब से खर्च बढ़ने का डर रहता है। साथ ही, इन परियोजनाओं के निष्पादन में होने वाले विलम्ब के कारण उनसे, वांछित परिणाम भी प्राप्त नहीं हो सका।

### 1.8.3 निवेश एवं लाभांश

नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2016 तक सरकार ने एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 12 सरकारी कम्पनियाँ (₹ 97.55 करोड़) एवं 18 को-ऑपरेटिव, कॉरपोरेशन एवं सोसाईटियों में (₹ 124.18 करोड़) कुल ₹ 267 करोड़ का निवेश किया (तालिका 1.24)। वर्ष 2015-16 के दौरान निवेश से लाभांश ₹ 0.47 करोड़ था। तथापि, सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान 6.63 प्रतिशत के औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 1.24: निवेशों पर लाभांश

निवेश/वापसी/उधार की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	182.57	187.82	231.97	247.00	267.46
लाभांश (₹ करोड़ में)	1.17	15.00	18.00	शून्य	0.47
लाभांश (प्रतिशत में)	0.64	7.99	7.76	शून्य	0.18
सरकारी उधार पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत में)	7.64	8.76	7.22	7.22	6.63
ब्याज दर और लाभ में अन्तर (प्रतिशत में)	7.00	0.77	0.54	7.22	6.45

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे - विवरण 19

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 20.46 करोड़ (आठ प्रतिशत) का निवेश मुख्यतः सरकारी कम्पनियों में (₹ 12.50 करोड़) एवं को-ऑपरेटिव सोसाईटी एवं स्थानीय निकाय में निवेश (₹ 7.96 करोड़) किया गया।

तदंतर, 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा इन संस्थाओं के साथ साथ सांविधिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में किये गये निवेशों को बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया था।

### 1.8.4 राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

को-ओपरेटिव सोसाईटी, कॉरपोरेशनों और कम्पनियों में निवेश के अलावे, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2016 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान बकाए ऋण एवं अग्रिम तथा ब्याज प्राप्ति के साथ-साथ ब्याज भुगतान को तालिका 1.25 प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.25: राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

अग्रिम की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधार की लागतें	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ऋणों का आरंभिक शेष	6997	7190	7748	7947	8738
वर्ष के दौरान अग्रिम की गई राशि	217	601	222	824	7480
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	24	43	23	33	31
बकाया ऋण एवं अग्रिम का प्रतिशत के रूप में वसूली	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4
<b>अंतशेष</b>	<b>7190</b>	<b>7748</b>	<b>7947</b>	<b>8738</b>	<b>16187</b>
निवल योग	193	558	199	791	7449
कुल ब्याज प्राप्ति	2.12	0.95	2.74	15.72	4.33
बकाया ऋण एवं अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्ति	*	0.01	0.03	0.20	0.05

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

\*नगण्य

• राज्य सरकार द्वारा को-ऑपरेटिव सोसाइटियों, कम्पनियों इत्यादि को अग्रिम के रूप में दी गई ऋणों की प्रमात्रा वर्ष 2011-12 के ₹ 217 करोड़ से धीरे-धीरे बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 7,480 करोड़ हो गयी। तथापि, वर्ष 2012-13 में यह ₹ 601 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 222 करोड़ हो गया जो पुनः 2014-15 में ₹ 824 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में उर्जा परियोजनाओं को संसाधनों का अंतर, बेहतर उत्पादन, संचरण एवं वितरण के लिए प्रदत्त ₹ 6,596 करोड़ के ऋण वृद्धि के कारण ₹ 7,480 करोड़ तक बढ़ गया।

• वर्ष 2015-16 के दौरान बकाया ऋण एवं अग्रिम में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में 9.95 प्रतिशत के विरुद्ध 85.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2016 के अंत तक कुल बकाया ऋण ₹ 16,187 करोड़ में से प्रमुख बकाया राशि ऊर्जा के लिए ऋण (₹ 15,455 करोड़) एवं शहरी स्थानीय निकाय (₹ 628 करोड़) के पास था।

• प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा बड़ी राशि ऋण के रूप में विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को दिये गए लेकिन इनकी वसूली नगण्य थी जिसके कारण मार्च 2016 के अन्त तक ₹ 16,187 करोड़ की बड़ी राशि बकाया हो गयी, जिसमें से ₹ 1,340.46 करोड़ ऋणी ईकाइयों से पुनर्भुगतान बकाया के रूप में थी (₹ 346.48 करोड़ मूलधन एवं ₹ 903.98 करोड़ का ब्याज)।

#### 1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण तालिका 1.26 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.26: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2016 को
रोकड़ शेष	444.21	1904.72
रोकड़ शेष से निवेश ('अ' से 'स' तक)	666.13	2102.24
अ. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	666.13	2102.24
ब. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य
स. अन्य निवेश	शून्य	शून्य
निवेशों पर प्राप्त ब्याज	126.98	117.27
रिजर्व बैंक में जमा	-224.13	-203.93
विभागीय रोकड़ शेष	2.21	6.41

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 31 मार्च 2016 के अंत तक पिछले वर्ष के ₹ 444.21 करोड़ के सापेक्ष राज्य का रोकड़ शेष ₹ 1,904.72 करोड़ था।

राज्य के पास मार्च 2016 के अंत में रोकड़ निवेश मार्च 2015 में ₹ 666.13 करोड़ के रोकड़ निवेश के सापेक्ष ₹ 2,102.24 करोड़ का रोकड़ निवेश था। मार्च 2016 के अंत तक कुल रोकड़ शेष का निवेश भारत सरकार के कोषागार विपत्र में किया गया।

**1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व**



**1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन**

सरकारी लेखांकन की विद्यमान पद्धति में, सरकारी स्वामित्व की परिसम्पत्तियाँ अर्थात् भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को शामिल करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 भाग-बी** 31 मार्च 2016 को उन दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2015 की तदनुसूची स्थिति के साथ इनकी तुलना को प्रस्तुत करता है। दायित्वों में जहाँ मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से लिये गये ऋण एवं अग्रिम एवं लोक लेखे से प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधि शामिल हैं, वहीं परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007, राज्य की संचित निधि और लोक लेखा जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचत का लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित है, के अन्तर्गत दायित्वों के रूप में राज्य के कुल दायित्वों को परिभाषित करता है।

### 1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति परिशिष्ट 1.3 में दर्शायी गई है। तथापि वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के दौरान राजकोषीय दायित्व के संघटन को क्रमशः चार्ट 1.10 एवं चार्ट 1.11 में प्रस्तुत किया गया है।



तालिका 1.27: राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति: आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	सीएजीआर
आंतरिक ऋण	22286	25202	27940	32755	43756	18.37
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2024	2124	2092	2087	2085	0.75
लोक लेखे दायित्व	6354	7543	7562	8727	10689	13.89
<b>कुल राजकोषीय दायित्व</b>	<b>30,664</b>	<b>34,869</b>	<b>37,594</b>	<b>43,569</b>	<b>56530</b>	<b>16.52</b>
कुल दायित्वों में वृद्धि (प्रतिशत)	7.0	13.7	7.8	15.9	29.7	मान्य नहीं
स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत)	20.3	20.0	19.9	20.1	23.4	मान्य नहीं
राजस्व प्राप्ति से राजकोषीय दायित्व का प्रतिशत	136.77	140.77	143.83	138.03	139.1	मान्य नहीं
राजस्व प्राप्तियों के परिपेक्ष्य में उत्प्लावकता	0.36	1.30	1.42	0.76	1.03	मान्य नहीं

- जैसा कि तालिका 1.27 में दर्शाया गया है, वर्ष 2011-12 के ₹ 30,664 करोड़ का समग्र राजकोषीय दायित्व 84.35 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2015-16 में ₹ 56,530 करोड़ हो गया। राजकोषीय दायित्व का वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2014-15 के 15.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 29.7 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011-16 की अवधि के दौरान राजकोषीय दायित्व का सी.ए.जी.आर. 16.52 प्रतिशत था।
- राज्य के राजकोषीय दायित्वों में ₹ 1,197.17 करोड़ लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि के रूप में तथा ₹ 9,492.25 करोड़ आरक्षित निधि (राज्य आपदा राहत निधि) के रूप में शामिल था।
- स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात वर्ष 2014-15 के 20.1 प्रतिशत से धीरे-धीरे बढ़कर वर्ष 2015-16 में 23.4 प्रतिशत हो गया।
- बारहवें वित्त आयोग ने राज्य की संचित निधि और लोक लेखा से अलग सभी ऋणों की परिशोधन हेतु एक सिंकिंग फंड, जिसमें बैंक ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि इत्यादि के दायित्व शामिल हैं, को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तथापि, अगस्त 2016 तक ऐसे किसी निधि की स्थापना नहीं की गई।
- संयुक्त बिहार के राजकोषीय दायित्वों का बँटवारा संतति राज्य बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक (अगस्त 2016) नहीं किया गया।

### 1.9.3 संरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर सरकार ने वर्ष 2010-11 में राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन किया। तत्पश्चात्, प्राकृतिक आपदा राहत निधि से शेष राशि एस.डी.आर.एफ. में अंतरित कर दी गई।

वर्ष 2015-16 के दौरान एस.डी.आर.एफ. में प्रारंभिक शेष ₹ 866.79 करोड़ था। वर्ष के दौरान निधि से प्राप्त एवं संवितरण क्रमशः ₹ 521.68 करोड़ एवं ₹ 512.01 करोड़ था जिससे मार्च 2016 तक अंतिम शेष ₹ 876.46 करोड़ हो गया।

#### 1.9.4 प्रत्याभूति की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

उधार प्राप्तकर्ता, जिसके लिये प्रत्याभूति दिया गया है, द्वारा बकाया चुकता नहीं करने की स्थिति में प्रत्याभूति राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होता है।

भारत का संविधान में प्रावधान है कि राज्य अपने विधायिका द्वारा अधिनियमित तथा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत संचित निधि की अभिरक्षा पर भारत के संघीय क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकता है और निर्धारित सीमा के अन्दर प्रत्याभूति दे सकता है। तथापि, झारखण्ड राज्य विधायिका द्वारा इस तरह का कोई कानून पारित नहीं किया गया और राज्य की संचित निधि की अभिरक्षा पर प्रत्याभूति देने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई।

वित्त लेखे के विवरण-9 के अनुसार मार्च 2016 तक ₹ 157.15 करोड़ का बकाया प्रत्याभूति (गारंटी) था। वर्ष 2015-16 के दौरान कोई प्रत्याभूति न ही दी गई और न ही वापस ली गई।

### 1.10 ऋण प्रबंधन

#### 1.10.1 ऋण की रूप रेखा

राज्य सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अलावे राज्य की ऋण धारणीयता<sup>8</sup> को निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। ऋण स्थिरीकरण<sup>9</sup>, गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता<sup>10</sup>, उधार लिए गये निधियों की निबल उपलब्धता<sup>11</sup>, ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्त से ब्याज भुगतान के

<sup>8</sup> समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण धारणीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण धारणीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नगद परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

<sup>9</sup> स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के बढ़ने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो।

<sup>10</sup> बढ़ती हुई ब्याज दायित्वों और बढ़ती हुई प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य के बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि बढ़ती गैर-ऋण प्राप्तियों बढ़ते हुए ब्याज दायित्व और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को निबटा सके।

<sup>11</sup> कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और उधार निधि की निबल उपलब्धता को दर्शाने वाली ऋण विमोचन में उपयोगिता ऋण प्राप्तियों के फैलाव को इंगित करता है।

अनुपात द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रत्याभूति की परिपक्वता की रूपरेखा के शब्दों में यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

### 1.10.2 ऋण धारणीयता

तालिका 1.28 वर्ष 2011-12 से प्रारंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण धारणीयता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.28: ऋण धारणीयता : संकेतक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ऋण से स.रा.घ.उ. का अनुपात	20.3	20.0	19.9	20.1	23.4
इंक्रिमेंटल गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)*	188	(-)39	1275	(-)2885	4313
उधार निधि की निवल उपलब्धता	(-)238	1814	110	3313	9641
ब्याज भुगतान का बोझ (आइ.पी./आर.आर. अनुपात)	10	10	10	9.28	8.17
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)					
0 - 1	1449(6)	1381(5)	1453(5)	1590(4)	1338(3)
1 - 3	3080(13)	3031(11)	2916(10)	3368(10)	4535(10)
3 - 5	2623(11)	3358(12)	4373(14)	5032(14)	4236(9)
5 - 7	4302(17)	5009(19)	4160(14)	3723(11)	7857(17)
7 और आगे	12856(53)	14547(53)	17131(57)	21129(61)	27875(61)
<b>कुल</b>	<b>24310</b>	<b>27326</b>	<b>30033</b>	<b>34842</b>	<b>45841</b>

कोष्ठक में कुल से प्रतिशतता को दिखाया गया है।

\*फार्मूला परिशिष्ट 1.2 में है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, 23.4 प्रतिशत पर ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात 14<sup>वें</sup> वि.आ. द्वारा तय किये गये मानक 24.20 प्रतिशत से कम था। जबकि यह बजट दस्तावेज में तय लक्ष्य ( 21.55 प्रतिशत) से ज्यादा था।

- वर्ष 2011-16 के दौरान अंतर्वार्षिक दोलन के पश्चात् गैर-ऋण प्राप्तियों (संसाधन अंतराल) में बढ़ोतरी की पर्याप्तता 2014-15 में (-) ₹ 2,885 करोड़ बढ़कर 2015-16 ₹ 4,313 करोड़ रही जो राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार का द्योतक है।
- कर्ज ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2014-15 के ₹ 3,313 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 9,641 करोड़ हो गया। वर्ष 2015-16 के दौरान कर्ज ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता उदय बाँड पर ₹ 5,553 करोड़ के कर्ज के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 191 प्रतिशत बढ़ी। तथापि, वर्ष 2011-12 के दौरान संसाधन अंतराल ऋणात्मक (₹ 238 करोड़) था।
- राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान के अनुपात के कारण ऋण स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया क्योंकि यह वर्ष 2011-12 के 10 प्रतिशत से नियमित



रूप से घटकर वर्ष 2015-16 में 8.17 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान यह 10 प्रतिशत पर स्थिर रहा।


- राज्य-ऋण की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाता है कि राज्य को सात वर्ष के अंदर 50 प्रतिशत से कम राशि का पुनर्भुगतान करना है। इसलिए, इसने विभिन्न ब्लॉक अवधि के दौरान लंबी परिपक्वता का सकारात्मक रूझान दर्शाया जैसा कि उपरोक्त तालिका में वर्णित है।


### 1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने - राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा - किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा, प्राप्ति एवं व्यय के बीच अंतर को दर्शाती है। घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबंधन की बुद्धिमत्ता को इंगित करती है। तदंतर, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही के प्रमुख तरीके भी इनके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीय प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके तथा राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट दस्तावेजों और 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को भी प्रस्तुत करती है।

#### 1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.12 एवं चार्ट 1.13 वर्ष 2011-16 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।





- वर्ष 2014-15 को छोड़कर, जब यह ऋणात्मक था, वर्ष 2011-16 की अवधि के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। वर्ष 2014-15 में ₹ 230 करोड़ राजस्व घाटा को छोड़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 1,428 करोड़ राजस्व अधिशेष हुआ जो वर्ष 2015-16 में ₹ 4,085 करोड़ हो गया। वर्ष 2015-16 के दौरान, बजट अनुमान के विरुद्ध सामाजिक सेवा (₹ 3,904 करोड़) एवं आर्थिक व्यय (₹ 1,578 करोड़) के अंतर्गत राजस्व व्यय के कारण राज्य के पास राजस्व अधिशेष था।
- वर्ष 2014-15 को छोड़कर राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम एवं 14<sup>वें</sup> वि.आ. द्वारा यथा लक्षित 'शून्य' राजस्व घाटे को वर्ष 2011-16 के अन्त तक पूरा कर लिया था। तथापि राज्य स्वयं के लक्ष्य (राजस्व अधिशेष/स.रा.घ.उ., 2.07 प्रतिशत) को पूरा करने में विफल रहा क्योंकि वर्ष 2015-16 के दौरान इसका राजस्व अधिशेष/ स.रा.घ.उ. अनुपात 1.7 प्रतिशत था।
- राजकोषीय घाटा 2011-12 के ₹ 1,924 करोड़ से स्थिरता से बढ़ते हुए 2015-16 में ₹ 11,523 करोड़ हो गया। इसी बीच राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-14 के ₹ 2,256 करोड़ से तीव्र रूप से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 6,564 करोड़ एवं 2015-16 में ₹ 11,523 करोड़ हो गया।
- अन्तर्वर्षीय दोलन के उपरान्त स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता मार्च 2014 के अंत तक 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 के अंत तक 3.0 प्रतिशत हो गया जो तदंतर बढ़कर मार्च 2016 के अंत तक 4.8<sup>12</sup> प्रतिशत हो गया। राज्य, बजट दस्तावेजों में तय अपने लक्ष्य 2.28 प्रतिशत तथा 14<sup>वें</sup>वि.आ. के 3.50 प्रतिशत के मानक को पूरा करने में विफल रहा।
- मुख्य रूप से राजस्व घाटा/अधिशेष में उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष 2011-16 के दौरान प्राथमिक घाटा (पी.डी.) में काफी उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। प्राथमिक

<sup>12</sup> यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाय, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटा से स.रा.घ.उ. 2.5 प्रतिशत कम हो जायेगा।

अधिशेष (पी.एस.) वर्ष 2013-14 में ₹ 358 करोड़ से बदलकर 2014-15 में ₹ 3,635 करोड़ और 2015-16 में 8,203 करोड़ का प्राथमिक घाटा हो गया। अन्तरवर्षीय दोलन के उपरान्त वर्ष 2015-16 में प्राथमिक घाटा स.रा.घ.उ. का (-) 3.4 प्रतिशत हो गया।

### 1.11.2 वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसके वित्त पोषण का स्वरूप

वित्तीय घाटे के वित्त पोषण के स्वरूप में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं जिसे तालिका 1.29 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.29: वित्तीय घाटे के अवयव एवं वित्त पोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16		
	<b>वित्तीय घाटे का बिखराव</b>	<b>1924</b>	<b>3406</b>	<b>2256</b>	<b>6564</b>	<b>11523</b>		
1	राजस्व घाटा/अधिशेष	1428	1370	2665	-230	4085		
2	निवल पूँजीगत व्यय	3159	4218	4722	5543	8159		
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	193	558	199	791	7449		
	<b>राजकोषीय घाटे वित्त पोषण का स्वरूप*</b>					<b>प्राप्तियाँ</b>	<b>संवितरण</b>	<b>निवल</b>
1	बाजार उधार	785	3145	2535	4488	5350	595	4755
2	भारत सरकार से ऋण	(-)122	100	-33	(-)5	165	167	-2
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रत्याभूति	(-)73	(-)200	129	335	1132	559	573
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	442	(-)30	455	(-)8	6598	925	5673
5	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	70	22	9	(-)202	830	989	-159
6	आरक्षित निधि	(-)105	(-)123	271	275	522	512	10
7	जमा एवं अग्रिम	1030	1290	-254	1093	19499	17388	2111
8	उत्त एवं विविध	74	31	-1	(-)13	296	279	17
9	प्रेषण	(-)17	(-)141	157	(-)238	8025	8024	1
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	(-)76	(-)100	-50	-	-	-	-
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/घाटा(-)	117	588	580	841	444	1905	-1461

\* वर्ष 2015-16 को छोड़कर सभी अंक वर्ष के सकल व्यय/बहिर्गमन का निवल है।

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 11,523 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यतः बाजार उधार (₹ 4,755 करोड़) एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण के तहत उदय बाँड (₹ 5,553 करोड़) से किया गया।

### 1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

आदर्श स्वरूप में, राज्य के राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान के साथ) को पूर्ण करना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति उधार (राजकोषीय घाटा) द्वारा की जाती है, वहाँ राजस्व अधिशेष को पूँजीगत व्यय के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि उधार को घटाया जा सके। पुनः यदि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय<sup>13</sup> का वहन कर सके तो उधार द्वारा वित्तीयन के लिये प्राथमिक

<sup>13</sup> ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व, पूँजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय।

घाटा शेष नहीं बचेगा। अतएव, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ बढ़ते प्राथमिक व्यय और बढ़ते ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। प्राथमिक घाटे का विभाजन इंगित करता है कि पूँजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण किस सीमा तक घाटा हुआ है जो राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए अपेक्षित है। तथ्यों का विभाजन तालिका 1.30 में दिया गया है।

तालिका 1.30: राज्य में प्राथमिक घाटा/अधिशेष - तथ्यों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2011-12	22444	18725	3159	217	22101	(+)3719	(+)343
2012-13	24813	21009	4218	601	25828	(+)3804	(-)1015
2013-14	26160	20858	4722	222	25802	(+)5302	(+)358
2014-15	31598	28866	5543	824	35233	(+)2732	(-) 3635
2015-16	40669	33233	8159	7480	48872	(+)7436	(-)8203

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 के दौरान, प्राथमिक व्यय एवं प्राथमिक राजस्व व्यय में बढ़ोतरी के विरुद्ध राज्य का गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 22,444 करोड़ से बढ़कर ₹ 40,669 करोड़ हो गया। पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 3,195 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 8,159 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य का गैर-ऋण प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से 29 प्रतिशत बढ़ी जबकि प्राथमिक व्यय वर्ष 2015-16 में 15 प्रतिशत तक बढ़ा। तथापि, 2015-16 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 8,203 करोड़ रहा।

### 1.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

#### राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2015-16 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि उस वर्ष के 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग की अनुशंसा 11.73 प्रतिशत के विरुद्ध 11.4 प्रतिशत था।
- राज्य को वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 4,085 करोड़ का राजस्व अधिशेष हुआ। वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 11,523 करोड़ हो गया। यह स.रा.घ.उ. का 4.8 प्रतिशत था, जो 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसित सीमा (3.5 प्रतिशत) तथा बजट अनुमान के ठीक परे था।

सरकार को 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग के मानकों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।

#### संसाधनों का संचरण

- जहाँ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 40,638 करोड़) वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले वर्षों की अपेक्षा 28.7 प्रतिशत बढ़ी, जो बजट आकलन से ₹ 7,389 करोड़ कम था।

सरकार के बजट दस्तावेजों में दिए गए प्राप्तियों के अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु प्रयास करना चाहिए।

#### व्यय की गुणवत्ता

- वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य के विकासात्मक व्यय और पूँजीगत व्यय को सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उच्च प्राथमिकता दी, जबकि सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य ने शिक्षा क्षेत्र के व्यय तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय को कम प्राथमिकता दी।

- पूँजीगत व्यय (सी.ई.) वर्ष 2014-15 में ₹ 5,543 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में ₹ 8,159 करोड़ हो गया। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत 2014-15 में 15 प्रतिशत के विरुद्ध 2015-16 में 18 प्रतिशत था। स.रा.घ.उ. में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत 2014-15 में 2.8 प्रतिशत के विरुद्ध 2015-16 में 3.4 प्रतिशत था।

सरकार को विकासात्मक व्यय पर प्राथमिकता बरकरार रखते हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों पर जोर देना चाहिए।

- प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को एक बड़ी राशि ऋण स्वरूप दी गई, लेकिन इसकी वसूली नगण्य थी जिसके कारण मार्च 2016 के अंत तक ₹ 16,187 करोड़ की बड़ी राशि शेष रही, जिसमें से ₹ 1,340.46 करोड़ ऋणी संस्थाओं से बकाया पुनर्भुगतान के रूप में था (₹ 436.48 करोड़ मूलधन एवं ₹ 903.98 करोड़ का ब्याज)।

सरकार से प्राप्त ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं करने वाले संस्थाओं/संगठनों से बकाया ऋण की वसूली हेतु सरकार को कदम उठाना चाहिए।

#### राजकोषीय दायित्व

- राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹ 56,530 करोड़) पिछले वर्ष से 29.7 प्रतिशत बढ़ा। राजकोषीय दायित्व, स.रा.घ.उ. का 25 प्रतिशत था, जो 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग की अनुशंसा 21.73 प्रतिशत के बाहर था। सरकार ने सभी ऋणों के परिशोधन के लिए सिंकिंग फण्ड का गठन नहीं किया है।

राज्य को राजकोषीय दायित्वों के संबंध में 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग के पूर्वानुमान की प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहिए। तदंतर, सरकार को ऋणों के परिशोधन के लिए सिंकिंग फण्ड का गठन करना चाहिए।

